राजस्थान – सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक:– सहायता/आ.बिजली/स्वीकृति/2021/241 दिनांक:24/01/2022

:– स्वीकृति आदेश :–

तहसील कार्यालय धरियावद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में **आकाशीय बिजली गिरने से** पशुक्षति पर पीडित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नाकिंत प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार प्रतापगढ की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32–7/2014– NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधानानुरूप पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर **आकाशीय बिजली गिरने से** पशुक्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एंव विवरण	स्वीकृत राषि
01	श्री हिरीया पिता अमरा मीणा निवासी पारेल तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ	दिनांक 16.04.2019 को आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैलो की मृत्यु होने पर(2X25000)	50,000/–रू.
		कुल योग	**50,000/–रू.**

(अक्षरे पचास हजार मात्र)

नोटः–

1. राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगाः
   2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01– सूखा, 800– अन्य व्यय, (03)– राहत कार्यो पर व्यय (02)– अग्नि सहायता, 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
2. राशि के आहरण एंव व्यय में आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय–2 पर जारी आदेशो/निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें।
3. आवंटित राशि से अधिक व्यय नही किया जावें।
4. स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावें।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर एवं प्रधान,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

क्रमांक:– सहायता/आ.बिजली/स्वीकृति/2021/242-48. दिनांक:24/01/2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
3. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
4. कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
5. **तहसीलदार, धरियावद** को भेज लेख है कि आप उक्त पीड़ित के नाम से किसी बैंक में संचालित बचत खाता के पूर्ण विवरण की सूचना मय बचत डायरी की छाया प्रतियों के 02 दिवस मे इस कार्यालय को भिजवावें ताकि स्वीकृत राशि ऑन लाईन बिल द्वारा सीधे संबंधित के खाते में स्थानान्तरित की जा सके साथ ही स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोग पशु क्रय करने के संबंध में पीड़ित से शपथ पत्र भी लिये जाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ।
7. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,प्रतापगढ़